फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या : 132 / 2024

उनवानः— रामफूल वगै. बनाम बोदीलाल वगै.

आज दिनांक 9/4/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ... आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/5/25 को पेश हो।

2/05/25

पत्रावली आज दिनांक 02.05.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 करवाई गई थी। बावजूद सूचना अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 अनुपस्थित है अतः अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी संख्या 3 की बहस अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् तकासमा पेश किया गया है मूलवाद में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़ें।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता नम्बर नया 101 पुराना 100 में खसरा नम्बर 515 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519/1699 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 520 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 521 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 522 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 523 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 527 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 528 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 529 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533/1700 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 538 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 540 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 543 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 545 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 2.7200 हैक्टेयर ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, पटवार हल्का लुनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner